प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक-31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 1-8 अगस्त 2016 मूल्य पांच रूपए

एचपीसीए प्रकरण में

एक और एफ आई आर तथा चालान हुए रद्द-वीरभद्र सरकार को फिर झटका

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए को प्रदेश सरकार ने वर्ष 2002 में धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम तथा 2009 में खिलाडीयों को आवासीय सुविधा तैयार करने के लिये विलेज कॉमन लैण्ड आवंटित की थी। उस आवंटन के बाद स्टेडियम का निमार्ण हुआ। फिर पैब्लियन के नाम से पांच सितारा आवासीय सुविधा का निमार्ण हुआ और 2012 में इस आवासीय निमार्ण के कर्मशियल यूज की अनुमति भी एचपीसीए को दे दी गयी। इसी बीच एचपीसीए ने अपने को सोसायटी से कंपनी में तबदील कर लिया। एचपीसीए को दोनों मर्तबा जमीन सोसायटी के नाम पर लगभग मुफ्त में मिली थी। होटल दी पैब्लियन का कर्मशियल यूज भी सोसायटी के नाम पर मिला था। सहकारिता नियमों के मुताबिक सोसायटी के नाम पर सरकार से ली गयी सुविधाऐं कंपनी बनाये जाने से पहले सरकार को वापिस की जानी चाहिए थी जो कि नही हुई। यही नही सटेडियम के साथ ही राजकीय महाविद्यायल धर्मशाला का एक दो मंजिला आवासीय होस्टल था जो गिरा दिया गया है और उसकी जमीन पर एचपीसीए द्वारा नाजायज कब्जे का आरोप है। इस क्रिकेट ऐसोसियेशन को दी गयी जमीन पर सैंकडों पेड़ भी थे जिन्हें अवैध रूप से काट लिये जाने का भी आरोप है। एचपीसीए पर इस तरह की अवैधताओं के आरोपों को लेकर धर्मशाला की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच करने की गुहार भी लगायी गयी थी। जिसके परिणाम स्वरूप इस समय एचपीसीए के खिलाफ सोसायटी से कंपनी बनाये जाने कॉलिज के आवासीय परिसर को गिरा कर उस पर अवैध कब्जा करने तथा आवंटित जमीन पर से सैकड़ों पेड़ों को अवैध रूप से काटने के आरोपों को लेकर अलग अलग मामले 2013 से चल रहे हैं।

इन्ही आरोपों में से राजकीय कॉलिज धर्मशाला के आवासीय परिसर की भूमि पर एचपीसीए के कथित अवैध कब्जे की पुष्टि करने के लिये 3-10-13 को विजिलैन्स ने डीसी कांगडा को इस जमीन की डिमार्केशन करके रिपोर्ट सौपने का आग्रह किया। इस पर 14-11-13 को तहसीलदार धर्मशाला ने डिमार्केशन करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जब तहसीलदार की रिपोर्ट विजिलैन्स में 16-11-13 को पहुंची तो उसमें कई खसरा नम्बरो में करीब 2100 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा होने का खुलासा था। इस पर एडीजीपी विजिलैन्स ने 20-2-14 को एससी धर्मशाला को पत्र भेजकर इस अवैध को लेकर मामला दर्ज करके जांच करने का आग्रह किया जिस पर 8-4-14 को पुलिस थाना धर्मशाला में आईपीसी की धारा 441 और 447/34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामला दर्ज होने के बाद सीजेएम धर्मशाला में चालान पेश हुआ।

इस चालान पर अदालत ने 17-11-15 और 21-11-15 को इसमें नामजद अभियुक्तों अनुराग ठाकुर और विशाला मरवाहा को अदालत में तलबी के आदेश भेज दिये। इन आदेशों और इस संदर्भ में दर्ज एफआईआर को रद्द किये जाने की गुहार प्रदेश उच्च न्यायालय में लगाई गयी जिसे स्वीकारते हुए जस्टिस राजीव शर्मा ने 2अगस्त को सुनाये फैसले में इसमें दर्ज एफआईआर, पेश हुए चालान तथा तलवी आदेशों को निरस्त कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने पूरे मामले में तहसीलदार की डिमार्केशन रिपोर्ट और एफआईआर में लगायी गयी धाराओं 441 और 447 के प्रावधानों को अपने फैसले का आधार बनाया है। डिमार्केशन के लिये एक तय प्रक्रिया है जिसके तहत संद्धर्भित जमीन के साथ लगने वाली हर जमीन के मालिकों को इसमें तलब किया जाता है। उनका पक्ष और एतराज सुने जाते हैं। जिसके खिलाफ डिमार्केशन हो रही है और जो डिमार्केशन करवा रहा है सबका इसमें शामिल होना तथा सहमत होना अनवार्य है। यदि कोई नही आता है तो उसका अलग से उल्लेख किया जाता है। लेकिन इस डिमार्केशन में तहसीलदार ने किसी भी संवद्ध पक्ष को इसमें बुलाया ही नही। फिर जिन खसरा नम्बरों की उसने पैमाईस करके अवैध कब्जा निकाला बाद में अपने 161 के ब्यान में कहा कि सही खसरा नम्बर और हैं। रिपोर्ट मांगी जाती है तो उसमें किसी संवद्ध पक्ष को बुलाने की अनिवार्यता नही हैं के साथ अवैध कब्जे को लेकर धारा 163 के तहत कारवाई करनी होती है। इसमें कब्जा होने का आरोप था लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने तौर पर इसमें कोई कारवाई नही की पुलिस ने धारा 441/ 34 के तहत मामला दर्ज किया। अदालत के मुताबिक इन धाराओं के अपेक्षित मानदण्ड इसमें पूरे ही नही होते। जब यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तब अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह का इसमें जबाब आया है। अदालत का कहना है कि यह जबाब याचिका में उठाये गये बिन्दुओं से एकदम हटकर हैं। स्मरणीय है कि जब यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तब गृह और शिक्षा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पीसी धीमान के पास थी। लेकिन उन्होने उस समय भी इस मामले के सारे पक्षों की ओर ध्यान नही दिया जबकि जमीन शिक्षा विभाग की थी और मूल मामले में वह

शेष पृष्ठ 8 पर.....

मनी लॉंडरिंग प्रकरण में

गिरफ्तारी पर रोक का उच्च न्यायालय के आदेश में कोई जिक्र नही

शिमला/शैल। सीबीआई के साथ ही मनीलॉंडरिंग का मामला झेल रहे मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने ईडी द्वारा उनके एल आई सी ऐजैन्ट आनन्द चौहान की गिरफ्तारी के बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हूए दिल्ली उच्च न्यायालय से प्रोटैक्शन की गुहार लगाई थी। इसी बीच ईडी ने प्रतिभा सिंह को 28 जुलाई को जांच में शामिल होने के लिये बुलाया था लेकिन वह जांच में शामिल नही हुई। 29 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिये जस्टिस सांघी की अदालत में लगा था। उस दिन यह आदेश हुआ है: Though the reply is stated to have been filed, the same has not come on record. Another copy has been tendered in Court, which is taken on "record. It is informed that petitioner No.2 had been called for investigation on 28.07.2016 She, however, did not personally appear for her investigation and the same has now been fixed for 09.08.2016. Mr. Sibal submits that petitioner No.2 shall personally appear for interrogation before the concerned authorities and shall fully cooperate with them during the said investigation.

Mr. Jain submits that the status report shall be filed with regard to the further investigation carried out by the respondent before the next date.

List on 24.08.2016

,इस आदेश में संभावित गिरफ्तारी की संभावना पर रोक को कोई जिक्र ही नही है। 29 जुलाई को प्रतिभा सिंह के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए यह भरोसा व्यक्त किया है कि प्रतिभा सिंह 9 अगस्त को ईडी के पास जांच में शामिल होंगी और जांच में पूरा सहयोग भी देगी। प्रतिभा सिंह के जांच में शामिल होने के बाद ईडी इसमें अगली जांच करने के बाद अदालत में इस मामले की स्टेट्स रिपोर्ट रखेगी। स्मरणीय है कि 29 जुलाई को इस मामले में हुई सुनवाई के बाद समाचार पत्रों में यह छप गया था कि इस मामले में प्रतिभा सिंह को भारी राहत मिल गयी है और अदालत ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

जबकि अदालत के आदेश में गिरफ्तारी का कोई जिक्र ही नही है। ऐसे में कानून के जानकारों का मानना है कि 9 अगस्त को प्रतिभा सिंह के जांच में शामिल होने के बाद इस मामले में गंभीर मोड़ आ सकता है। स्मरणीय है कि आनन्द चौहान ने जो एल आई सी पालिसीयां वीरभद्र परिवार के सदस्यों के नाम पर बनवाई थी उनमें चार 27.3.2010 और सात 28.5.10 तथा चार विक्रमायादित्य के नाम पर 31.12.2010 को बनी है जबकि अपराजिता कुमारी के नाम पर 17.10.2014 को दो एफ डी आर बनी है। संयोग है कि एल आई सी की पालिसीयां उसी दौरान बनी जब वीरभद्र केन्द्र में स्टील मन्त्री थे। इसी 2009-10, 2010-11 की अवधि 6,03,70,782 रूपेय आनन्द चौहान, एम आर शर्मा और कनु प्रिया राठौर के खातों में कैश जमा हुआ जिसमें से 13-5-2014 को ग्रटर कैलाश दिल्ली में प्रतिभा सिंह के नाम पर 4,47,20,000 से मकान खरीदा गया। ईडी को आशंका है कि यह सारा पैसा मनीलॉंडरिंग है और इसी को लेकर यह पूछताछ संभावित है।

राज्यपाल की डॉ. वाई.एस. परमार को श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार को उनकी 110वीं जयन्ती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉ. परमार हिमाचल प्रदेश के संस्थापक थे, जिन्होंने राज्य के विकास की एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि हमें इस दिवस के अवसर पर डॉ. परमार के सपनों को पूरा करने के लिए शपथ लेनी चाहिए तथा राज्य की उन्नति एवं समृद्धि के लिए योगदान देना चाहिए ताकि हिमाचल देश का एक आदर्श राज्य बन सके।

उन्होंने कहा कि डॉ. परमार ने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण तथा इस पहाड़ी प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।

आचार्य देवव्रत ने लोगों से डॉ. परमार के समर्पण, मेहनत एवं सादगी तथा राज्य के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने का आग्रह किया।

राज्यपाल की धर्मपत्नी दर्शना देवी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मण्डी शहर को अम्रुत योजना में शामिल करने का केन्द्र सरकार से आग्रह

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश के धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर मंडी को अम्रुत योजना में शामिल किया जाए। शर्मा ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात करके यह मांग उठाई।

अनिल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश के शिमला व कुल्लू शहरों को पहले ही अम्रुत योजना के तहत लाया जा चुका है तथा आग्रह किया कि मंडी शहर को भी इस योजना में शीघ्र शामिल किया जाए।

वेंकैया नायडू को मंडी शहर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के प्रति अवगत करवाते हुए शर्मा ने बताया कि ब्यास नदी के किनारे स्थित यह शहर भौगोलिक दृष्टि से भी केन्द्रीय जोन में आता है और इस शहर को 'छोटी काशी' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि बनारस की काशी में जहां लगभग 80 मंदिर हैं वहीं इस शहर में 81 मंदिर हैं और यह पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण शहर है और कुल्लू घाटी का प्रवेश द्वार भी है।

अनिल शर्मा ने अनुरोध किया कि क्योंकि कुल्लू शहर, जिसकी आबादी एक लाख से भी कम है, को पहले ही इस योजना में शामिल किया जा चुका है और यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने के लिए अब मंडी शहर को भी अम्रुत योजना में शामिल किया जाए।

वेंकैया नायडू ने अनिल शर्मा को आश्वासन दिया कि भविष्य में जब भी शहरों का चयन किया जाएगा, उसमें मंडी शहर को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

शिमला शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण जनवरी 2017 में

शिमला/शैल। शिमला शहर के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी, 2017 में किया जाएगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा नगरों एवं शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में समाज की प्रत्येक वर्ग को मिल-जुल कर कार्य करने के महत्व के बारे में जागरूक करना है।

यह जानकारी नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय ने दी। सर्वेक्षण का मकसद नगरों एवं शहरों में नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाना तथा स्वच्छ शहरी स्थलों का सृजन करने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना भी है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला के अंतर्गत स्वच्छता शिकायत हेल्प लाईन नम्बर 1916 कार्य कर रही है और लोग नलकों में पानी का अनावश्यक बहाव, गंदगी अथवा मलवा फैंकना, गंदगी फैलाना, सीवरेज रिसाव तथा अवैध कब्जों एवं नियमों के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डस्टबिन से बाहर कूड़ा-कर्कट फैंकना तथा नालियों में गंदगी फैंकने सम्बन्धी शिकायतों का भी हेल्प लाईन नम्बर पर पंजीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शिमला स्वच्छ मिशन आरम्भ किया जाएगा तथा स्कूल स्वच्छता समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक रविवार को सफाई का कार्यक्रम अभियान का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता निर्देशों का एक कलेण्डर तैयार किया जाएगा तथा इसे प्रत्येक घर, शहर के लोगों व पर्यटकों में वितरित किया जाएगा, ताकि नगर निगम शिमला द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी लोगों को उपलब्ध हो सके तथा वे शिमला स्वच्छ मिशन में भागीदार बन सके।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
TENDER

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer , Palampur Division HP PWD, Palampur on behalf of the governor for following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD, (B&R) whose registration stood renewwd as per revised rules and also registered under the H.P. General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on 9.9.2016 up to 11:00 A.M And the same shall be opened on the same day at 11:30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment(Non-refundable) on 8.9.2016 up to 4:00 P.M. and the application for issue of tender form shall be received on 6-9.2016 up to 12:00 noon.

The earnest money in the sahpe of NSC/FDR/saving account of the Post office /Bank in H.P.duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional / incomplete tenders& tenders without earnest money will be summarily rejected.The XEN reservesthe right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tender without assigning any reasons.

Work No.1.: Additional Accomodation for HPPWD Rest House at Khaira (S.W:- C/O Additional Accomodation for HPPWD Rest House) Estimated Cost Rs. 9,15,955/-Earnest Money Rs. 18,400/- Time Limit Two Cost of form Rs. 350/-

Work No. 2.: C/O Health Sub Center Bhoda. S.W.:-c/o site development)Estimated Cost Rs.3,76,828/- Earnest Money Rs. 7600/-Time Limit one Month Cost of form Rs. 350/-

Work No. 3.: C/O 20.00mtrs span foot Bridge over Bhiral Khad. (s.W.:- C/o Approaches) Estimated Cost Rs. 6,19,709/-Earnest Money Rs.12,400/- Time Limit Two MonthCost of form Rs. 350/-

Work No. 4.: C/O link road G.P Mehra in Mansimbal (S.W:- c/o Approaches for 2:00 mtr Span culvert) Estimated Cost Rs. 2,51,541/-Earnest Money Rs.5100/- Time Limit one Month Cost of form Rs. 350/-

Work No.5.: C/O Arla Gugga Mandir upto Bhawarna Km 0/0 to 6/200(S.W.C/O U-Shpae drain at Rd 5/915 to 6/045(L.S)Estimated Cost Rs. 1,61,5981/-Earnest Money Rs.3300/- Time Limit one Month Cost of form Rs. 350/-

Work No.6.: C/O Batwal Basti road in G.P Mansimbal(S.W.-c/O 3.00mtrs.Span RCC slab culvert at Rd 0/045) Estimated Cost Rs. 2,99,150/- Earnest Money Rs. 6000/- Time Limit Two Month Cost of form Rs. 350/-

Work No.7.: C/O link road from Gadiara Khatin via Makrehar Km 0/000 to 3/200.(S.W.C/O 900mm dia Hume pipe culvert at Rd. 1/850, 2/200 and R/wall at Km 1/195 to 2/205 and at km 2/395 to 2/405 Under SCCP. Estimated Cost Rs. 3,60,534/- Earnest Money Rs. 7200/- Time Limit Three Month Cost of form 350/-

TERMS AND CONDITIONS:-

Following Documents Should accompany the application for tenders.

1. Sale Tax No. with Latest Sales tax clerarance certificate.
2. Vaild copy of Registration .
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of manchinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured Post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11:00A.M.positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years.
8. The contracotr will have to submit affdavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-1753/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री सोलन में करेंगे राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त, 2016 को सोलन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती, रोहित ठाकुर और मनसा राम भी राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर सोलन में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे।

हि.प्र. विधानसभा अध्यक्ष बी.बी.एल. बुटेल बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स शिमला में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर मण्डी में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी.एस. बाली, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में और वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी कुल्लू में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा हमीरपुर में, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी चम्बा में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा सिरमौर जिले के नाहन में, आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह लाहौल-स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में तथा हि.प्र. विधानसभा उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी बिलासपुर में हि.प्र. विधानसभा अध्यक्ष के साथ समारोह में उपस्थित रहेंगे। मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार नाहन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के साथ, मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल धर्मशाला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री मामले के साथ, मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल शिमला में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री के साथ, मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर मण्डी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ, जबकि मुख्य संसदीय सचिव इन्द्र दत्त लखनपाल शहरी विकास मंत्री के साथ हमीरपुर में उपस्थित रहेंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों में हिमाचल गौरव पुरस्कार, प्रेरणा स्रोत सम्मान तथा सिविल सेवा पुरस्कार शामिल हैं, जो हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2017 को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग में नामांकन अथवा संस्तुतियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2016 है।

संस्तुतियां निर्धारित प्रपत्र पर हिन्दी में अधिक से अधिक दो पृष्ठों में उपलब्धियों के एक संक्षिप्त विवरण सहित प्रस्तुत करने को कहा गया है। नामांकन में सत्यापित की गई उत्कृष्ट एवं असाधारण उपलब्धियां अथवा सेवाएं, जो पात्र व्यक्ति अथवा संस्था की संस्तुति को न्यायसंगत सिद्ध करती हो, का उल्लेख होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि संस्तुतियां प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रपत्र पर केवल वांछित व सम्बद्ध दस्तावेज ही सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। नामांकन भेजने के लिए योजनाओं सहित निर्धारित प्रपत्र सरकार की वैबसाईट www.himachal.nic.in/gad पर उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम में और संशोधन के लिए विचार करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गृह सचिव को ड्रग्स एंव कॉसमेटिक्स अधिनियम, 1940 विशेषकर अधिनियम की धारा 18 तथा

इसके उप भागों में आवश्यक संशोधनों के मामलों पर विचार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि इसे संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जा सके।

राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्राय: देखा गया है कि लोग जो सिंथेटिक नशीले पदार्थों की अवैध खरीद व फरोख्त में पकड़े गए दोषी मौजूदा ड्रग्स एवं कॉसमेटिक्स अधिनियम में कड़े प्रावधान न होने के कारण बरी हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री के साथ मामले पर चर्चा करते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि दवा निरीक्षक की उपस्थिति के बगैर पुलिस नशे के व्यापार में संलिप्त दवाइयों की दुकानों की छापामारी नहीं कर सकती। छापामारी के दौरान दवा निरीक्षक की अनुपस्थिति में दोषी दवाई विक्रेता कानून के पंजे से बच जाते हैं।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के शाहपुर में 1500 युवाओं की एक 'व्यसन मुक्त युवा' (एएफवाई)संस्था बनाई गई है, जो लोगों को नशीले पदार्थों के कुप्रभावों के बारे में जागरूक कर रही है तथा नशे का अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने में सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि शाहपुर की सभी 54 पंचायतों में एक अभियान चलाया गया है और अब तक इसके अन्तर्गत सात पंचायतों को कवर किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि कुछ दवा विक्रेताओं द्वारा स्कूली बच्चों और यहां तक की कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रलोभन देकर उन्हे नशीले पदार्थ उपलब्ध करवाने को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं पर कड़े नियंत्रण के अभाव में बाजार में प्रॉक्सीवोन प्लस, प्रॉक्सीवोन स्पास, कोडिन फासफेट तथा इस प्रकार की अन्य दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो रही हैं और दवा विक्रेता इस अवैध धंधे में संलिप्त हैं।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में एक व्यापक अभियान चलाया गया है और समाज से इस बुराई को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कुछ और युवा संगठनों का गठन किया जाएगा।

भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए टोल फ्री नम्बर

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के विरूद्ध अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आम जनता द्वारा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक टोल फी नम्बर 0177-2629893 की सुविधा प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए आवश्यक नियम और प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अनुदेश और दिशा-निर्देश केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाईट www.cvc.nic.in और www.permin.nic.in पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्टाचार विरोधी और अनुपालना आवश्यकताओं का पालन करने के लिए ये दिशा-निर्देश भ्रष्टाचार विरोधी नीति के मुख्य बिंदुओं को दर्शाएंगे।

बागवानों को खुम्ब उत्पादन का प्रशिक्षण देगा बागवानी विभाग

शिमला/शैल। बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि शिमला जिले के दत्तनगर स्थित मशरुम प्रशिक्षण केन्द्र में क्षेत्र के बागवानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि बागवान वैज्ञानिक तरीके से मशरूम की खेती के लिये निपुणता हासिल कर अच्छी व गुणात्मक फसल का उत्पादन कर सके। इससे बागवानों को मण्डियों में बाजिव दाम प्राप्त होगे और उनकी आर्थिकी में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के अतिरिक्त, इस केन्द्र में खुम्ब उत्पादन के लिये खाद तैयार करने का कार्य भी किया जाएगा, जिसके लिये 15 अगस्त के पश्चात ही उपयुक्त तापमान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय खुम्ब उत्पादकों की मांग के अनुरूप विभाग ने खाद तैयार करने के लिये आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली है तथा आगामी 15 अगस्त के उपरांत खाद तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विभाग ने इच्छुक बागवानों से खुम्ब उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है ताकि बागवान तकनीकी जानकारी हासिल कर बेहतर उत्पादन कर सकें।

सरकार विधानसभा सत्र के दौरान टीसीपी अधिनियम में लाएगी संशोधन: सुधीर शर्मा

शिमला/शैल। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान जन प्रतिनिधियों व लोगों के सुझाव के आधार पर प्रदेश में भवनों के निर्माण में हुए उलंघन को नियमित करने के लिए

संशोधन लाएगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर लोगों को राहत दी जाएगी और प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाएगा।

सुधीर शर्मा शहरी एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा नागरिक सुशासन मोबाईल ऐप्प के शुभारम्भ के उपरान्त बोल रहे थे। इस मोबाईल ऐप्प से लोगों को वृहद सेवाएं जैसे ऑनलाईन पंजीकरण तथा भवन योजना स्वीकृति उपलब्ध होगी। यह ऐप्प सीएसएम प्रौद्यागिकी ओडिशा द्वारा विकसित किया गया है, जिसका आसानी से उपयोग किया जा सकेगा। इसके माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण की सूचना व भवन योजना स्वीकृति की सूचना के अतिरिक्त विभाग से संबंधी अन्य सूचनाएं उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि इस ऐप्प के आरम्भ होने से नागरिक केन्द्रित सेवाओं में एक नया मील पत्थर स्थापित हुआ है, जो प्रदेश सरकार की नागरिकों को उनके घरद्वार पर नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की वचनबद्धता को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि विभाग की नागरिक केन्द्रित प्रयासों से न केवल प्रशासन के कार्यों में सुधार होगा, बल्कि इससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व दक्षता भी सुनिश्चित होगी। यह ऐप्प विभिन्न मामलों जैसे नए लम्बित प्रार्थना पत्रों का अनुश्रवण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अदायगी, अधिसूचना जारी करना व जांच की अनुसूची तैयार करने में सहायक होगा। नागरिक इसके माध्यम से अपने प्रार्थना पत्रों की स्थिति को जान सकेंगे और शुल्क की अदायगी भी ऑनलाईन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक वास्तुकार व संरक्षक स्थिति पर नजर रख सकेंगे व शुल्क अदायगी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

सुधीर शर्मा ने कहा कि विभाग लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी सेवाओं को सुगम करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों के लिए एक इसी प्रकार का एक अन्य ऐप्प विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से जन्म एवं मृत्यू प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अलावा विद्युत, पानी व अन्य करों की अदायगी की सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को जन प्रतिनिधियों व नागरिकों से भवनों के निर्माण में हुए उलंघन को नियमित करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं और विधानसभा सत्र के दौरान इसको लेकर संशोधित बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीसीपी अधिनियम में आगामी बदलाव पर नजर रखने के लिए कठोर प्रावधान किए जाएंगे ताकि अधिनियम में और संशोधन लाने की आवश्यकता से बचा जा सके। मंत्री ने टीसीपी विभाग के अधिकारियों को टेबलेट उपलब्ध करवाने की घोषणा की ताकि वे विभाग की ऑनलाईन सेवाओं का दक्षता पूर्वक कार्य कर सकें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसीपी मनीषा नन्दा ने कहा कि नए ऐप्प के आरम्भ होने से सुशासन का नया अध्याय जुड़ा है और इससे लोगों को गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने डिजिटल सेवाओं में विस्तार कर गत वर्षों में अपने कार्यों में अनेक बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन सेवाएं आरम्भ होने से समय व धन की बचत होगी और लोगों को अपने कार्यों के लिए कार्यालयों व बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग प्रदेश में और अधिक शहर विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहा है और लोगों की सुविधा के लिए तीन नए कार्यालय खोले गए हैं।उन्होंने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला -नालागढ़ विशेष क्षेत्र की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

शहरी एवं नगर नियोजन विभाग के निदेशक संदीप कुमार ने नए ऐप्प से मिलने वाली सुविधाओं व लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग सभी प्रार्थना पत्र ऑनलाईन प्राप्त कर रहा है और जिनका निर्धारित समय के भीतर निपटारा सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऐप्प के आरम्भ होने से विभाग के कार्यो में दक्षता आएगी। उन्होनें कहा कि हिम टीसीपी ऐप्प विभाग की वैबसाईट और गुगल प्ले से डाउनलोड़ किया जा सकेगा।

राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 6136 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 31 जुलाई, 2016 तक कुल 6136 मामलों का निपटारा किया है। ट्रिब्यूनल के समक्ष 28 फरवरी, 2015 से आज तक कुल 9755 नए मामले आए, जबकि 6346 मामले हि.प्र. उच्च न्यायालय से प्राप्त हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि नए मामलों में से 5272, जबकि हि.प्र. उच्च न्यायालय से प्राप्त मामलों में से 864 का अंतिम निपटारा किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल ने इस अवधि के दौरान 85 अवमानना याचिकाएं, 10 समीक्षा याचिकाएं, तीन एक्स याचिकाएं और 2755 विविध आवेदनों का भी निपटारा किया है।

उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल ने 2009 से पहले के पुराने मामलों का प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्णय लिया है ताकि लम्बित मामलों को निपटाया जा सके।

जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला केन्द्र से उठाने पर मुख्यमंत्री का आभार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से योजना बोर्ड के अध्यक्ष जी. आर. मुसाफिर तथा रोजगर सृजन एवं संसाधान विकास के अध्यक्ष हर्षवर्द्धन चौहान ने भेंट की।

उन्होंने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित करने का मामला काफी लम्बे समय से चल रहा था। इसके बारे में हि.प्र. विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पुरजोर तरीके से गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सहमति प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के लोगों की परम्पराएं एवं रीति-रिवाज पूरी तरह राज्य के अन्य जनजातीय क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां भी जनजातीय क्षेत्रों की तरह ही दुर्गम हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का इस क्षेत्र के लोगों से वायदा किया था तथा चुनावी घोषणा पत्र में भी इस विषय के बारे में लिखा गया था। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केन्द्र में भाजपा नेतृत्व की सरकार सिरमौर जिले की जनता से किए गए वायदे को अवश्य पूरा करेगी।

जैसे ही भय आपके करीब आये, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिये।.....चाणक्य

सम्पादकीय

आरोप पत्र की रस्म अदायगी क्यों

प्रदेश सरकार ने वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने का फैसला लिया है। इस आशय का भाजपा अध्यक्ष ठाकुर सत्तपाल सिंह सत्ती का एक ब्यान भी आया है। सरकार के इस कार्यकाल में भाजपा का यह दूसरा आरोप पत्र होने जा रहा है। पहला आरोप पत्र 2015 में सत्ती और धूमल के हस्ताक्षरों तले आया था। वैसे 2015 में भाजपा की आक्रामकता की जो धार थी वह अब 2016 में उतनी तेज नजर नहीं आ रही है। वैसे इस धार का पता प्रस्तावित आरोप पत्र से लग जायेगा । प्रदेश में आरोप पत्र जारी करने की संस्कृति बड़ी पुरानी है। स्व. डा. परमार के समय से ही चली आ रही है बल्कि उस समय तो कांग्रेस के ही आठ विधायकों प.पदम देव के नेतृत्व में आरोप पत्र दाग दिया था। उसके बाद सत्यदेव बुशैहरी और हरि सिंह जैसे नेताओं ने गंभीर आरोप लगाये थे। डा. परमार के बाद स्व. ठाकुर रामलाल के कार्यकाल में भी वीरभद्र सिंह ने एक पत्र लिखकर बड़ा धमाका किया था। 1977 में जनता पार्टी के समय आरोपों के चलते ही शान्ता कुमार के खिलाफ दो बार अविश्वास प्रस्ताव सदन में आये थे।

शान्ता के दूसरे कार्यकाल में भी आरोप लगे और उसके बाद वीरभद्र तथा धूमल के हर कार्यकाल में आरोप पत्र आयें आरोप पत्र लाने में हर विपक्षी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जनता पार्टी ने, जनता दल, जन मोर्चा, वामपंथी दल, लोकदल हिविंका और भाजपा सबने विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष के खिलाफ आरोप पत्र जारी किये हैं। हर आरोपपत्र में गंभीर और संवदेनशील आरोप रहे हैं। आरोपों को प्रमाणिक मानकर प्रदेश की जनता ने आरोप पत्र वालों को सत्ता भी सौंपी है। लेकिन आजतक किसी भी दल ने सत्ता में आकर अपने ही दागे हुए आरोप पत्रों की ईमानदारी से जांच करवा कर उन्हें अन्तिम अन्जाम तक नही पहुंचाया है। हर सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरैन्स के दावे किये हैं। वीरभद्र सिंह ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिवद्धत्ता को विश्वसनीय बनाने के लिये 31 अक्तूबर 1997 को एक रिवार्ड स्कीम तक अधिसूचित की है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने जितने बडे दावे किये है। उसके शासन के खिलाफ उतने ही बड़े और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। परन्तु यह आरोप पत्र केवल अखवारों की खबरों से आगे नही बढ़े हैं।

लेकिन इन आरोप पत्रों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार को हमारे नेता अपने विरोधी के खिलाफ कितना बड़ा हथियार मानते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जनता पर ऐसे आरोपों का कितना बड़ा असर होता है। इसी कारण इन आरापों को जनता तक पहुंचाने में यह नेता कोई कोर कसर नही छोड़ते हैं। परन्तु इसी सबसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह नेता इन आरोपों का प्रचार-प्रसार करने के अतिरिक्त इन पर कभी कोई कारवाई नहीं चाहते। शायद इसी कारण आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े-बड़े दावे करने वाले किसी भी मुख्यमन्त्री ने अपनी ही पार्टी के आरोप पत्रों पर कभी कोई कारवाई करने का जोखिम नही उठाया है। 1998 में भाजपा की सहयोगी हिमाचल विकास पार्टी ने वीरभद्र के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा था। इस पत्र पर जांच रोकने के लिये वीरभद्र ने 31.3.99 को तत्कालीन मुख्य सचिव और एडीजीपी विजिलैन्स को धमकी भरा पत्र लिखा था और इस पत्र के बाद धूमल ने उन आरोपो पर जांच को आगे नही बढ़ाया। यही नही 2003 से 2007 के वीरभद्र के कार्यकाल को लेकर भी भाजपा ने तीन आरोप पत्र सौंपे थे लेकिन अपने 2008 से 2012 के शासनकाल में भाजपा सरकार ने इन आरोप पत्रों पर कोई कारवाई नही की है।

इसी तरह कांग्रेस ने भी धूमल शासन के दोनों कार्यकालों के खिलाफ आरोप पत्र सौंपे थे लेकिन कारवाई के नाम पर कुछ नही हुआ। आज वीरभद्र सरकार ने एच पी सी ए और धूमल के खिलाफ जितने मामलों में कारवाई की थी उनमें से अधिकाश में उच्च न्यायालय में सरकार को भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। क्योंकि यह मामले अदालत में सफल नही हो पाये हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह मामले मूलत: ही आधारहीन थे और जबरदस्ती बनाये गये थे? या फिर इनमें जानबूझकर बुनियादी कमीयां रखी गयी थी। ताकि यह अदालत में सफल न हों। ताकि ऐसा करने से आज जो आरोप भाजपा लगा रही है उनकी जांच का भी यही हश्र हो।

आज प्रदेश से भाजपा सांसद केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जे पी नड्डा के खिलाफ संघ के ही एक प्रकाशन यथावत ने कवर स्टोरी छापी है। नड्डा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं इसमें। क्या प्रदेश भाजपा वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र सौंपते हुए नड्डा पर लगे आरोपों की जांच की मांग भी उसी तर्ज पर करेगी। इस परिदृश्य में भाजपा नेतृत्व से यह आग्रह है कि आरोपों का मजाक न बनाएं उन पर प्रतिबद्धता दिखाते हुए अदालत तक जाकर उन पर जांच की मांग उठाये। अन्यथा यह आरोप पत्र रस्म अदायगी से अधिक कुछ नही रह जायेंगे और इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कुछ नही हो सकता।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): भारत के लिए क्रांतिकारी कदम

122वां संविधान संशोधन भारत के राजनैतिक–आर्थिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि इस क्रांतिकारी कदम से देश को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में अब तक का सर्वाधिक प्रगतिशील कर सुधार प्राप्त हो रहा है। इससे एक तरफ कारोबार और उद्योग के लिए आसानी होगी, वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी आएगी। इस कदम से केंद्र और राज्यों को राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी से ऐसी कर व्यवस्था वजूद में आएगी जिससे सकल घरेलू उत्पाद में एक से डेढ़ प्रतिशत का इजाफा होगा और करों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी।

–प्रकाश चावला–

उद्योग, व्यापार और निवेशकों में इस कदम से बहुत उत्साह है। अब भारत का स्थान कई बिन्दुओं के मद्देनजर देश में व्यापार की आसानी के संदर्भ में विश्व बैंक की रैंकिंग में ऊंचा हो जाएगा। यह सही है कि जीएसटी विधेयक पिछले एक दशक से लंबित था और राजग सरकार ने विस्तृत राजनैतिक सहमति बनाकर इसे पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधेयक के संबंध में बहुत विवाद था जिसे हल करके भारत ने पूरे विश्व को यह सकारात्मक संदेश दिया है कि देश में एक अरब लोगों की भलाई के लिए आर्थिक सुधारों के प्रति राजनैतिक समर्थन प्राप्त किया जा सकता है।

जीएसटी क्या है?

विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के जरिये राज्यों को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है और उसका लगभग आधा यानी लगभग 16 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर आबादी के एक छोटे हिस्से से ही प्राप्त होता है जबकि प्रत्यक्ष करों का प्रभाव प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है। चूंकि अप्रत्यक्ष कर खपत के संबंध में होते हैं, इसलिए अमीरों और गरीबों, दोनों को समान रकम चुकानी होती है।

वर्तमान में संविधान, केंद्र और राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर (वैट), बिक्री कर, मनोरंजन कर, चुंगी, प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर जैसे अप्रत्यक्ष करों और विभिन्न अधिभारों को लागू करने का अधिकार देता है। केन्द्र और राज्य दोनों के पास इन करों को वसूलने के लिए अपने-अपने आधिकारिक तंत्र हैं, लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और वैट के लिए अधिकांश करों की गणना एक आधार पर की जाती है, जो कुछ चरण में स्वयं कराधान या विनिर्माण मूल्य श्रृंखला की अन्य चरण की शर्त पर भी की जाती है। इसलिए यह टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, जिससे अंतिम उपभोक्ता के लिए सामान और सेवाएं ज्यादा महंगी हो जाती हैं और इसके अलावा उद्योग तथा व्यापार जीवन में भी कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस तंत्र की खामियों का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण अंतर्राज्यीय सीमाओं पर देखा जा सकता है। जहां विभिन्न किस्मों के टैक्स की जांच और चुंगी तथा प्रवेश कर के भुगतान के लिए ट्रकों की लंबी लाइनें राजमार्गों पर यातायात को कई-कई घंटे जाम कर देती हैं। 1 अप्रैल, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने की उम्मीद है। इससे ये सभी टैक्स उपभोक्ता के लिए एक ही टैक्स में शामिल हो जाएंगे। केन्द्र, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) लागू करेगा और वसूल करेगा, जबकि राज्य अपने-अपने राज्य के अंदर सभी लेन-देन पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लागू करेंगे और वसूल करेंगे। सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक चरण में उत्पादन पर सीजीएसटी देयता की अदायगी पर उपलब्ध होगा। इसी प्रकार कच्चे माल पर भुगतान किये गये एसजीएसटी का क्रेडिट उत्पादन पर एसजीएसटी के भुगतान के लिए लागू किया जाएगा। सेवाएं और वस्तुएं प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लगने वाले कर के अधीन होंगे। इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए करों के समग्र भार को कम किया जा सकेगा।

विनिर्माण से गंतव्य तक

वर्तमान प्रणाली में जहां उत्पाद एवं केन्द्रीय बिक्री कर फैक्ट्री के गेट पर विनिर्माण स्तर पर ही लागू कर दिए जाते हैं या सामानों की अंतर्राज्यीय ढुलाई पर लगा दिए जाते हैं, वहीं जीएसटी में यह कराधान गंतव्य स्तर पर लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि इससे खपत वाले राज्य को लाभ और विनिर्माण वाले राज्य को हानि हो सकती है।

यही कारण है कि अच्छे विनिर्माण आधार वाला राज्य जैसे कि तमिलनाडु जीएसटी के खिलाफ था और व्यापक उपभोग करने वाले राज्य जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इसके समर्थन में थे। हालांकि, जीएसटी विधेयक में पांच वर्षों तक राज्यों को होने वाले नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई करने का प्रावधान किया गया है। नुकसान में रहने वाले राज्यों के लिए अतिरिक्त एक फीसदी शुल्क लगाने के पूर्ववर्ती प्रावधान को हटा दिया गया है।

महंगाई पर असर

विश्लेषकों का मानना है कि अल्पावधि में सेवाओं की कीमतों पर कुछ असर पड़ सकता है, जिन पर अभी केंद्रीय स्तर पर केवल तकरीबन 14 फीसदी का ही सेवा कर औसतन लगता है। हालांकि, निर्मित उत्पादों जैसे कि ऑटोमोबाइल के मामले में मानक जीएसटी का असर उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले करों के संयुक्त वर्तमान असर की तुलना में बहुत कम रह सकता है। वैसे, मध्यम से लेकर दीर्घ अवधि में इसका असर समाप्त हो जाना चाहिए। विशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो जीएसटी महंगाई के कहर को कम कर सकता है और इस तरह यह व्यापार/उद्योग जगत के साथ-साथ आम जनता के लिए भी अनुकूल साबित हो सकता है। इसके अलावा, यह अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के बड़े हिस्से को मुख्य धारा में लाएगा।

जीएसटी दर

इसकी तकरीबन तीन दरें होंगी-'X' के रूप में मानक दर, जिसके दायरे में ज्यादातर वस्तुएं होंगी, आम उपभोग वाली वस्तुओं के लिए 'X'-माइनस' और विलासिता वाली वस्तुओं अथवा तथाकथित 'नीति विरुद्ध वस्तुओं' के लिए 'X'-प्लस'। संविधान संशोधन में जीएसटी दरों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके बारे में निर्णय जीएसटी परिषद लेगी जिसमें अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। जीएसटी परिषद में लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए परिषद के तीन चौथाई सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। राज्यों के पास दो तिहाई मताधिकार और केंद्र के पास एक तिहाई मताधिकार होंगे। कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी दर के लिए 18 फीसदी की सीमा तय करने की मांग की है, जबकि सरकार ने राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) सुनिश्चित करने का आहवान किया है। आरएनआर में व्यापक तब्दीली या तो महंगाई अथवा राजकोषीय विवेक के लिहाज से प्रतिकूल साबित हो सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए उचित आरएनआर तय करना एक बड़ी चुनौती साबित होगा।

दायरे से बाहर रखना

राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों और मादक पेय को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि राजस्व के लिहाज से काफी अहम माने जाने वाले इन उत्पादों के लिए सौदेबाजी नहीं की जा सकती है। व्यापक राजनीतिक सहमति की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन मदों को अब आगामी सुधारों में ही शामिल किया जाएगा।

आगे क्या?

संसद में पारित हो जाने के बाद जीएसटी विधेयक पर कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की संभावना है। इसके बाद संसद को एक बार फिर दो संबंधित विधेयकों को पारित करना होगा, जिनमें से एक विधेयक केंद्रीय जीएसटी और दूसरा विधेयक एकीकृत जीएसटी के लिए होगा। इसके अलावा, राज्यों की विधानसभाओं को राज्य जीएसटी से जुड़े कानून को पारित करना होगा। इस बीच, अगले वित्त वर्ष से जीएसटी को लागू करने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन की ओर से केंद्रीय आईटी से जुड़े ढांचे पर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। **पसूका**

राजस्थान का स्वाधीनता आन्दोलन

सम्पूर्ण भारतवर्ष की तरह राजस्थान में भी दासता से मुक्ति के प्रयास 19वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ हो गये थे। यहां की जनता पर अंग्रेजों की हुकूमत की बेड़ियां तो थी ही, साथ ही उन्हें यहां के शासकों एवं जागीरदारों के दमनकारी कृत्यों से भी जूझना पड़ता था। इस दोहरी मार के फलस्वरूप ऐसे अनेक आंदोलन हुए जिनका प्रभाव स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई पर भी स्पष्ट दिखाई दिया।

–प्रज्ञा पालीवाल गौड़–

किसान आंदोलन

राजस्थान में अहिंसक असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिजोलिया के किसान आंदोलन से हुई। राजस्थान के शासकों ने 19वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजों से संधि कर ली थी, जिससे उन्हें बाहरी आक्रमणों एवं मराठों के आतंक से मुक्ति मिल गई थी। निर्भय हो जाने के कारण इन राजाओं ने आम जनता पर नए-नए करों का बोझ डालना प्रारम्भ कर दिया। इससे जनता में असंतोष बढ़ता गया और पहला विस्फोट हुआ सन 1897 में मेवाड़ की जागीर क्षेत्र बिजोलिया में। विभिन्न लगानों के विरूद्ध बिजोलिया के किसानों ने 2-3 छोटे आंदोलन किए। वर्ष 1916 में राजस्थान के महान सपूत श्री विजय सिंह पथिक ने आंदोलन की बागडोर संभाली और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उनके आहवान पर जनता ने लगान तथा अन्य प्रकार के कर देना बंद कर दिया। इसके कारण बड़ी संख्या में किसान दमन के शिकार हुए और जेल गए। अधिकांश बड़े नेता या तो निर्वासित किए गए या जेल भेजे गए। यह आंदोलन 1941 में किसानों की जीत के साथ समाप्त हुआ।

बजोलिया के किसान आंदोलन का प्रभाव मेवाड तथा आसपास की रियासतों पर भी पड़ा। बेगूं के किसानों ने भी लगान के विरुद्ध एक संगठित आंदोलन शुरू किया। इसके लिए सरकार ने बल प्रयोग किया जिसमें रूपाजी और करमाजी नामक दो किसान शहीद हुए। इसके साथ ही बूंदी, सिरोही, अलवर, भोमठ, सीकर और दुधवारिया में भी किसान आंदोलन हुए जिसमें अन्ततः विजय किसानों की हुई।

भोमठ और सिरोही के भील बहुल क्षेत्र में किसानों पर की गई गोलीबारी में लगभग 2 हजार किसान मारे गए। इस आंदोलन का नेतृत्व 'मेवाड के गांधी' के नाम से प्रसिद्ध श्री मोती लाल तेजावत ने किया।

राजस्थान में 1857 की लड़ाई

हालांकि राजस्थान के कई राजाओं ने 1857 की क्रान्ति में अंग्रेजों की मदद की थी लेकिन, कुछ क्षेत्रों में बगावत भी हुई। 21 अगस्त, 1857 में जोधपुर राज्य में स्थित एरिनपुरा छावनी में ब्रिटिश फौज के कुछ भारतीयों ने बगावत कर दिल्ली की ओर कूच किया। रास्ते में वे बागी सैनिक आउवा पर ठहरे जहां के ठाकुर कुशलसिंह चापावत उनके नेता बने। आसपास के अन्य ठाकुर भी अपनी सेना लेकर उनके साथ हो गए।

अजमेर के चीफ कमिश्नर सर पैट्रिक लारेन्स ने जोधपुर के महाराजा से सेना भेजने की प्रार्थना की। उन्होंने जो सेना भेजी वह बागी सैनिकों से हार गई। उसके बाद सर पैट्रिक लारेन्स और जोधपुर का राजनीतिक एजेंट मेसन सशैत्य आउवा पहुंचे। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई।

गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को जब पता चला तो उसने जनवरी 1858 को पालनपुर और नसीराबाद से एक बड़ी सेना आउवा भेजी। क्रांतिकारी इस सेना का सामना नहीं कर पाए और उन्हें जानमाल की भारी क्षति हुई।

इस प्रकार कोटा एवं अजमेर-मेरवाडा की नसीराबाद स्थित सेना के सैनिकों ने भी मेरठ में सैनिक विद्रोह के समाचार सुनकर विद्रोह कर दिया।

राजस्थान में सशस्त्र क्रान्ति का प्रारम्भ शाहपुरा के सरी सिंह बारहठ ने किया। उन्होंने अर्जुनलाल सेठी एवं खरवा राव गोपालसिंह के साथ एक क्रान्तिकारी संगठन 'अभिनव भारत समिति' की स्थापना की। उन्होंने एक विद्यालय भी खोला जहां युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इनमें से कुछ युवकों को प्रशिक्षण के लिए रास बिहारी बोस के साथी मास्टर अमीचन्द के पास दिल्ली भेजा जाता था। दिल्ली में के सरी सिंह बारहठ के भाई जोरावरसिंह एवं पुत्र प्रतापसिंह रास बिहारी बोस के नेतृत्व में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स पर फैंके गए बम की घटना में सम्मिलित हुए।

प्रजा मण्डल

राज्यों के प्रति कांग्रेस की नीति महात्मा गांधी द्वारा 1920 में बनाई गई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस ने राज्यों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए इन राज्यों में अपने-अपने संगठन स्थापित करने तथा स्वतंत्रता आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद प्रजा मण्डलों की स्थापना हुई ।

अप्रैल 1938 में श्री माणिक्यलाल वर्मा ने अपने कुछ साथियों के सहयोग से उदयपुर के मेवाड़ प्रजा मण्डल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष श्री बलवन्त सिंह मेहता थे। संस्था को प्रारम्भ से ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सरकार ने प्रजा मण्डल पर जो पाबन्दी लगाई हुई थी उसको हटाने की मांग करते हुए 4 अक्तूबर, 1938 को सत्याग्रह आंदोलन किया गया। मेवाड़ सरकार द्वारा सितम्बर 1941 में प्रजा मण्डल पर से पाबन्दी हटा दी गई।

हालांकि जयपुर में प्रजा मण्डल की स्थापना 1931 में हो गई थी, लेकिन इसकी गतिविधियां 1938 में सेठ जमना लाल बजाज के नेतृत्व सम्भालने के बाद ही शुरू हो पाई। सरकार ने सेठ जमना लाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया, लेकिन उन्होंने इन आदेशों की अवहेलना कर, उन्होंने एक फरवरी 1939 को जयपुर में प्रवेश किया। उनकी गिरफ्तारी हुई और राज्य में सत्याग्रह शुरू हुआ। यह सत्याग्रह 18 मार्च, 1939 तक चला और इसी वर्ष अगस्त में एक समझौते के बाद श्री जमना लाल बजाज व उनके साथियों को रिहा किया गया।

कोटा प्रजा मण्डल की स्थापना 1936 में की गई। इस संस्था द्वारा साक्षरता, दवाईयों की आपूर्ति, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति आदि कुछ अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। कोटा प्रजा मण्डल ने उत्तरदायी शासन के लिए हड़ताल व सत्याग्रह भी किए। अलवर एवं भरतपुर में 1938 में प्रजा मण्डलों की स्थापना की गई। बीकानेर में 1936 और 1942 में प्रजामण्डलों की स्थापना के प्रयास किए गए लेकिन वे राज्य की नीतियों के कारण असफल हो गए।

जैसलमेर में महारावल की दमनकारी नीतियों के कारण वहां तो कोई संगठन बनाना अत्यन्त कठिन कार्य था। सागर मल गोपा ने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। जब 1939में प्रजामण्डल की स्थापना हुई तो उस पर पाबन्दी लगाई गई। 1941 में सागर मल गोपा को गिरफ्तार किया गया। जेल में जुल्मों को सहन करते हुए उनकी 3 अप्रैल, 1946 को मृत्यु हो गई।

राज्य के कोने-कोने में स्थापित प्रजा मण्डलों ने राजस्थान में स्वाधीनता आंदोलन को सही दिशा प्रदान की।

पसूका

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समाज पर सकारात्मक प्रभाव

'पूर्णिमा शर्मा'

एक खेतिहर मजदूर पी श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में उल्लीपलेम ग्राम में रहता है। गरीब दिहाड़ी मजदूर होने और उसके नाम पर कोई भी संपत्ति ना होने के कारण उसके लिए अपने परिवार के वास्ते दो वक्त की रोटी जुटाना खासा मुश्किल हो जाता था। श्रीनिवास ने कभी बैंक में खाता खुलवाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब सप्तगिरी ग्रामीण बैंक ने उसे बैंक खाते के फायदों के बारे में बताया तो आखिरकार उसने मार्च, 2015 में अपना खाता खुलवा ही लिया। बैंक द्वारा थोड़ा और समझाने के बाद उसने केंद्र सरकार की जीवन बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) भी ले ली और उसके लिए जुलाई, 2015 में 330 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया। अगस्त, 2015 में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसके पीछे परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे रह गए। उसकी पत्नी पीएमजेजेबीवाई के माध्यम से पति द्वारा ली गई बीमा सुरक्षा के बारे में जानती थी।

उसने आर्थिक सहायता के लिए बैंक से संपर्क किया। बैंक अधिकारियों का व्यवहार खासा सहयोगपूर्ण था और उन्होंने उसे बीमा कंपनी में मृत्यु दावा जमा करने में सहयोग किया, जिसका निबटारा नामित व्यक्ति के पक्ष में हो गया जो श्रीनिवास की पत्नी ही थी। दावे की रकम के तौर पर दो लाख रुपये उसकी पत्नी के बचत बैंक खाते में नवंबर, 2015 में आ गए।

बैंक और पीएमजेजेबीवाई से मिले त्वरित सहयोग से पीड़ित के परिवार को आर्थिक सहायता मिली, जिसकी उन्हें खासी जरूरत थी और इससे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली। हम पीएमजेजेबीवाई नहीं लेने वाले मृतक के परिवारों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं। यह इस बात का उदाहरण है, जहां ऐसे परिवार जिसके पास कोई संपत्ति नहीं हो और कोई निश्चित आय नहीं हो, को इस योजना से खासा फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार की इस तरह की कई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना और जीवन में अचानक उत्पन्न होने वाले ऐसे हालात का सामना करने में सक्षम बनाना है।

हमने खासी आर्थिक प्रगति की है, लेकिन भारत का समाज अभी तक असुरक्षित है। समाज का एक बड़ा तबका बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के जिंदगी बिता रहा है या एक असुरक्षित जीवन जी रहा है। किसी मुश्किल हालात, जैसे दुर्घटना या मृत्यु, में हर गरीब परिवार को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा पहलू है, जिसकी मौजूदा सरकार ने एक प्राथमिक जरूरत के तौर पर पहचान की है। आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने के क्रम में सरकार ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया है।

ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को बीमा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थीं। कम आय वाले समूह को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं के प्रीमियम को काफी कम रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इन योजनाओं को बैंक खातों के माध्यम से ही लिया जा सकता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी वित्तीय समावेशन योजना के माध्यम से व्यापक स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 21 जुलाई 2016 तक 9.61 करोड़ पॉलिसियां और प्रधानमंत्रे जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 3.03 करोड़ पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं। अभी तक पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 36,000 दावे पंजीकृत हुए और 31,200 से ज्यादा दावों का निस्तारण कर दिया गया। इसी प्रकार पीएमएसबीवाई के अंतर्गत इस साल 21 जुलाई 7,025 और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 4,551 दावों का निस्तारण कर दिया गया।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक साल की बीमा योजना है, जिसका हर साल नवीकरण कराया जाता है और इससे किसी स्थिति में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की जोखिम सुरक्षा दी जाती है। यह योजना 18 से 50 साल तक आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए 330 रुपये प्रीमियम तय किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक साल की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। यह सालाना 12 रुपये के प्रीमियम पर मिलती है। इस पॉलिसी में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में दो लाख रुपये का कवरेज और दुर्घटना में स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपए के कवरेज की पेशकश की जाती है। यह 18 से 70 साल तक आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। अभी तक (21 जुलाई, 2016) 4,500 से ज्यादा दावों का निबटारा किया जा चुका है और पीड़ित व्यक्ति के परिवारों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जा चुकी है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को आय सुरक्षा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के अभिदाता को मासिक न्यूनतम 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी देती है। अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को जीवन भर पेंशन दी जाएगी और अभिदाता के 60 साल के होने पर पेंशन कोष नामित को दिया जाता है। इसमें विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को ध्यान में रखा गया है। अभी तक इस योजना में 28.71 लाख अभिदाता पंजीकरण करा चुके हैं।

ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। राज्य सरकारें और जिला प्रशासन को इन योजनाओं में भागीदार बनाया गया है। जिलों और शहरों में इन योजनाओं की सफलता की तमाम कहानियां हैं। लोग न सिर्फ आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे हैं, बल्कि उनका जीवन भी बेहतर हो रहा है। उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। यह वास्तविक वित्तीय समावेशन है। भ्रष्टाचार कम हो रहा है, क्योंकि पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आ रहा है और इन योजनाओं का यही मुख्य उद्देश्य है। अब सामाजिक सुरक्षा नए मुकाम हासिल कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं।

पसूका

हिमाचल निर्माता डा.परमार के राज्य को 'क्रशन के कलंक' व 'कर्ज के डंक' से घायल करते गए ये सारे

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डा.यशवंत सिंह परमार का राज्य हिमाचल प्रदेश आज भ्रष्टाचार और कर्ज के फंदे में फंसा दिया गया है। आज ये सवाल प्रासंगिक है या कि प्रदेश ने विकास की कितने पायदान चढ़े, ये। ये जवाब कांग्रेस व भाजपा दोनों की ओर से आना चाहिए।

खास कर प्रदेश के चार बड़े

नेताओं की जवाबदारी तो बनती ही है। इनमें परमार के बाद मुख्यमंत्री बने ठाकुर रामलाल, शांता कुमार, मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सुखराम के नाम खासतौर पर शामिल है। सुखराम मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन बतौर केंद्रीय मंत्री वो भ्रष्टाचार का कलंक जो परमार के राज्य को दे गए, ऐसा हिमाचल निर्माता परमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर से लेकर मौजूदा सीएम वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के छींटे सवार हो चुके है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का दामन साफ नहीं है। आज आलम ये है कि सीएम व नेता विपक्ष के परिवार भ्रष्टाचार के फंसे है। प्रदेश से दो लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर व वीरेंद्र कश्यप भी भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे है।

सीबीआई, इडी और विजीलेंस, पुलिस के वाहनों के सायरनों की सांय-सांय एक अरसे से इस पहाड़ी राज्य की वादियों में गूंज कर यहां की भोली भाली जनता को शर्मसार कर रही है। 70-80 के दशक में वनकाटुओं ने यहां पर जमकर हाहाकार मचाया। हाहाकार मचाने वालों में सफेदपोशों से लेकर खाकी पर सितारें पहनने वाले शामिल रहे। नौकरशाहों ने चांदी न कूटी हो ये क्या संभव है। खूब लूट मची। वो दौर खत्म हुआ तो लगा कि चीजें सुधरेंगे। कुछ संभवत: सुधरी भी। पर गलीचे के नीचे सब कुछ चलता रहा और हिमाचल निर्माता का राज्य दलदल में फंसता गया।

फिर हिमाचल के लिए दिल्ली से प्रदूषित हवाएं चली और 1996 में दूरसंचार क्रांति के दूत सुखराम के मंडी स्थित आवासों में करोड़ों की करंसी मिली। हिमाचल के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रदेश का कोई नेता इतनी संपति अपनी झोली में डाल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ। उन्हें दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिया। मामले आज भी देश की अदालतों में हैं।

1998 में भाजपा के प्रेम कुमार धूमल ने सरकार बनाई तो सहारा सुखराम का ही मिला। धूमल ने वीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार को खंगालने के लिए अपने सिपाही लगा दिए। बड़े बाबू तैयार नहीं हुए तो छोटे बाबूओं को टोहा गया। वो तैयार हुए पर कीमत मांगी गई। कीमत दी भी गई। वो बाबू आज भी मौज उड़ा रहे है। पर भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगी ही नहीं। डा. परमार की आत्मा इन करतबों को देखर जरूर सुस्कराई होगी। धूमल के शासन काल में पूरे पांच साल कुछ भी नहीं खोदा गया। उनकी सरकार गई तो वीरभद्र सरकार फिर सता में लौट आई। कई दांव पेच चले। एक भी नेता नहीं पकड़ा गया। एक रिटायर बाबू पकड़ लिया गया। फिर सीडी का सियार बाहर निकल आया। वीरभद्र के एक खाकी वाले अफसर ने पलटी मारी और 2008 में धूमल सरकार के दौरान वीरभद्र सिंह पर हमला बोल दिया। खूब हल्ला मचा। पर भ्रष्टाचार में लगाम तो लगी ही नहीं और के साथ -साथ अंबानी व अदानी, डीएलएफ की घुसपैठ प्रदेश में हो गई। तब से लेकर अब तक प्रदेश की शांत वादियों में सीबीआई, इडी, विजीलेंस व पुलिस के वाहनों की सायरनों की आवाजें लोगों के कानों को दर्द दिए जा रही है।

ये तो हुआ ही। एक और बड़ा कारनामा हुआ। नेताओं के पास अकूत संपति आ गई और नेताओं के पुत्र-पुत्रियों को ये बात समझ आ गई कि अगर पैसा कमाना है तो राजनीति में घुस जाओ। पुत्र सीएम का हो या नेता प्रतिपक्ष का। प्रोफेशनल नहीं है। न डाक्टर हैं, न इंजीनियर। खैर, अपवाद तो होते ही है।

एक तरफ ये हुआ तो दूसरी ओर रइसों के लिए 2009 से 2014 तक कुल छह सालों में 35 हजार करोड़ रुपया बांट दिया गया। रइसों के लिए मजदूरों की लाशें बिछाने से लेकर उनकी हकों पर डाका डालने तक कुछ भी किया जा सकता है। ये किया भी जा रहा है। चमकीले सितारों वाले व स्टील पेम के बाबू आनंद लिए जा रहे है। सीएम व नेता प्रतिपक्ष हाथ भी मिलाते जा रहे हैं और खंजर भी घोंपते जा रहे है। पीठें किसकी लहूलुहान हो रही है ये तय करना मुश्किल नहीं है।

इस सब के बावजूद हिमाचल निर्माता डा.परमार की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर फूलमालाएं चढ़ाना जारी है।

जीएसटी बिल पारित होना भाजपा सरकार की उपलब्धि

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सांसद एवं बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जीएसटी बिल राज्यसभा में पारित करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल के पारित होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी और देश में व्यवसायों और निवेशकों के लिए और भी ज्यादा सकारात्मक वातावरण तैयार होगा ।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि, मैं जीएसटी विधेयक पारित होने के लिए केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जीएसटी, केंद्र और राज्यस्तर के सभी अप्रत्यक्षकरों एकत्रित कर, उत्पादकता और पारदर्शिता बढ़ायेगा। इससे कर चोरी में कटौती होगी यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान के रूप में काम करेगा।, जीएसटी आने

से कर का बोझ कम होगा और आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होगी।

बाहरा विश्वविद्यालय वाकनाघाट में 8 अगस्त से शुरू होंगी कक्षाएं

शिमला/शैल। वाकनाघाट स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में 2016-2017 के शैक्षणिक सत्र के लिए आठ अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बाहरा विवि के कुलपति डा. एस. के. बंसल ने कि छात्रों व् उनके अभिभावकों

का आहवान किया है कि वो आठ तारीख से कक्षाएं ज्वाइन कर लें।

बाहरा विवि के एडमिशन व् मार्केटिंग के विभागाध्यक्ष अभिनव नंदा ने कहा कि नए छात्रों के लिए विवि के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत 8 तारीख को छात्रों का परिचय लिया जाएगा ताकि वे पुराने छात्रों एवम शिक्षकों से रूबरू हो सकें । उन्होंने कहा कि छात्रावास लेने के इच्छुक छात्रों को 6 व 7 अगस्त को सुबह साढ़े नौ बजे विवि पहुंचना होगा।

नंदा ने कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन पाने वाले छात्रों का आहवान किया कि वे पहले बताये गए दस्तावेजों को स्कैन कर पेन ड्राइव में डाल कर 8 तारीख को साथ लेते हुए आएं । इस के अतिरिक्त उन्हें यूको बैंक की बाहरा विश्वविद्यालय में खुली हुई शाखा में 1000 रुपये से खाता खोलना भी अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि इंजीनरिंग, मैनेजमेंट, बेसिक साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, लॉ, पैरामेडिकल, साइंस एवम हॉस्पिटैलिटी की कक्षाएं 9 तारीख से शुरू हो जाएँगी।

नालदेहरा में सीबीआई की छापेमारी

शिमला/शैल। सीबीआई ने नालदेहरा के समीप मैसर्स जोया रिजार्ट एंड होटल के दो हिस्सेदारों राजेश मुखिया

व नीनू श्याम व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों व अधिकारियों व अन्यों के खिलाफ बैंक के साथ धोखधड़ी व भ्रष्टाचार करने के मामले में U/s 120-B r/w 420,405, 467, 468 & 471 of IPC and 13(2) r/w 13 (1)(d) of PC Act, 1988 के एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने नालदेहरा के सैंज व बाकी कई स्थानों के अलावा पंचकूला में भी छापेमारी की है। ये दोनों हिस्सेदार नालदेहरा के समीप गांव सधौरा के है।

सीबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दी माल शाखा से इन दोनों हिस्सेदारों ने होटल व रिजार्ट बनाने के लिए करोड़ 55 लाख का कर्ज मंजूर कराया जिसमें से बैंक ने 1 करोड़25 लाख रुपया इन्हें दे दिया। इस कर्ज में से होटल पर 25 -30 लाख रुपया ही खर्च किया बाकी के पैसे अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खर्च कर दिए।

बैंक को धोखा देने के लिए जाली बिल पेश कर दिए और बाकी बचा कर्ज नहीं लौटाया। जिसकी वजह से ये कर्ज एनपीए बन गया। यही नहीं इस कर्ज के एवज में जिस व्यक्ति ने गारंटी दी थी उसका सेंट्रल बैंक ऑफइंडिया में एक फूट कंपनी के नाम चल रहे खाते में ओवर ड्राफ्ट चल रहा है। उस पर बैंक का करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए बकाया है।

इस सिलसिले में सीबीआई ने आज नालदेहरा शिमला व पंचकूला में इन लोगों के सात ठिकानों पर छापेमारी की व सर्च के दौरान बहुत से कागजात मिले है।

कहा जा रहा है कि इस मामले में जिला शिमला के कांग्रेस के नेताओं का भी कुछ लेना देना है।

पांच करोड़ से शुरू होगी हिमाचली रांझें की बोली

शिमला/शैल। हां हिमाचली रांझा हैं उसका नाम। मुहब्बत उसने की हो या न की हो लेकिन मशहूरी मोहब्बत के इस दीवाने की इसी नाम से है।

इस रांझें की कई हीरें होंगी और आगे भी सिलसिला रूकने वाला नहीं हैं। पर बिलासपुर जिले के बरठीं में 5 अगस्त को ये हिमाचली रांझा नाम व दौलत दोनों लूटने में लगा होगा।

हिमाचली रांझा कोई और नहीं जिला बिलासपुर के बरठीं के नरेश कुमार सोनी का झोटा है। करीब दस क्विंटल का ये झोटा अपने आप अनूठा है। झोटों का इतना वजन अमूमन हिमाचल में नहीं होता। लेकिन हरियाणवीं नस्ल का है और पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र है।

बरठीं में पांच अगस्त से इस झोटे के लिए बोली लगेगी। इसके मालिक ने न्यूनतम बोली पांच करोड़ रखी है। बोली में प्रदेश व दूसरे प्रदेशों के व्यापारी व किसान शिरक्त करने वाले हैं। झोटा जवान हैं व इसकी उम्र 2 साल सात महीने हैं। बिलासपुर के आला अफसर

बताते हैं कि और कुछ हो या न हो लेकिन ये रांझा बिलासपुर का नाम रोशन जरूर कर जाएगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार
उपलब्धियाँ बेमिसाल

सुखद विकास यात्रा की सुखद अनुभूतियाँ

वीरभद्र सिंह

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश
शिमला – 171 002

प्यारे साथियो !

हिमाचल की विकासात्मक यात्रा इस बात की साक्षी है कि प्रदेश में अधिकांश समय सत्ता में रही कांग्रेस सरकारों ने कर्म को धर्म मान कर, प्रदेश को हर क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए निरन्तर प्रयास किये। गांव - गांव सड़कें और बिजली पहुँचायी, गुणात्मक उच्च शिक्षा सबको सुनिश्चित बनाई, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, कृषि - बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और स्वावलम्बी हिमाचल की नींव मज़बूत की।

इस विकास यात्रा में हमें सदैव हमारे राष्ट्रीय नेताओं का स्नेह एवं मार्गदर्शन मिलता रहा। स्मरणीय यात्रा में सभी ने अपने - अपने स्तर पर सदा साथ निभाया और दिनों - दिन हमारा यह आपसी सहयोग का बंधन मज़बूत होता रहा। आपके नि: स्वार्थ सहयोग के बिना यह सफ़र अधूरा ही रहा जाता, तहे दिल से आभार !

मैं और मेरी सरकार कर्मठ हिमाचल वासियों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और सदैव रहेगी।

आपका अपना,

(वीरभद्र सिंह)

	1950-51	1980-81	1990-91	31 मार्च, 2016 तक
सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	288	17433	22445	36759
स्वास्थ्य संस्थान	91	738	1029	3856
शैक्षणिक संस्थान	546	7790	9662	15298
फल उत्पादन (1000 मीट्रिक टन)	1200	139800	386300	7.51 लाख मीट्रिक टन

वर्ष 1948 - 2016

साक्षरता दर	4.8%	88% लगभग
प्रति व्यक्ति आय	₹240	₹1,30,067
सकल घरेलू उत्पाद	₹26 करोड़	₹1,10511 करोड़

कुशल एवं दूरदर्शी प्रयासों से-बना आदर्श हिमाचल

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 - 2805015, 94180 - 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

वीरभद्र की भाषा

सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहे वीरभद्र भाषाई शालीनता के दायरे लांघते जा रहे हैं। यह प्रतिक्रिया रही है भाजपा की वीरभद्र के उस कथन पर जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के अन्दर सदन में बैठने लायक केवल एक दो व्यक्ति ही शेष बचे हैं और अन्य को तो नगर निगम के सफाई कर्मचारी के लिये आवेदन कर देना चाहिये। मुख्यमन्त्री ने अपने परिवहन मंत्री जी एस बाली को लेकर भी तंज कसे हैं क्योंकि पिछले दिनो बाली और गडकरी की करीबी चर्चा में रही और अब बाली और केजरीवाल का एक साथ यात्रा करना भी चर्चा का विषय बन गया। इससे पूर्व यह भी सबके सामने है कि वीरभद्र अपने खिलाफ चल रही जांच का सूत्रधार धूमल, जेटली और अनुराग को लगातार करार देते आ रहे हैं। जितनी बार वीरभद्र इन लोगों को कोस चुके हैं उससे तो किसी के भी मन बुद्धि में यह आ सकता है कि फिर ऐसा कर ही दिया जाये।

यह सही है कि वीरभद्र इन दिनों अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में चल रहे हैं। लेकिन यह समय क्यों आया? इसके लिये अपने और पराये कौन कितना जिम्मेदार हैं? इस सबका चिन्तन मनन तो स्वयं उन्हें और उनके परिजनो तथा शुभ चिन्तको को ही करना है। इसके लिये दूसरो को कोसने से तो कोई लाभ नही मिलेगा। आज दबी जुबान से कई यह कह रहे हैं कि आपने भी तो दूसरो के साथ इन्साफ कम ही किया है। कभी किसी की बददुआ भी वैसा ही असर कर जाती है जैसा की दुआ करती है। अपने किये का स्वयं ही आकलन करना होता है क्योंकि आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा भी है जिसके सामने कोई गलत ब्यानी ठहर नही पाती है।

आज धूमल, अनुराग और एचपीसीए के खिलाफ बनाये गये सारे मामले एक-एक करके असफल होते जा रहे हैं। इन मामलों से जुड़ी फाईलें और दूसरे दस्तावेज तो आपने स्वयं देखे नही हैं। इन मामलो की आपको उतनी ही जानकारी है जितनी आप के विश्वस्तों ने आपको दी है। लेकिन इन विश्वस्तो पर आश्रित रहकर आज परिणाम क्या है। जिस व्यक्ति को ऐसे पायदान पर पहुच कर इस ऐज स्टेज पर यह सब झेलना पड़े उसे इस सब पर स्वयं ही सोचना पड़ेगा। क्या आज जो मामले असफल होते जा रहे हैं वह मूलतः ही आधारहीन थे या फिर आपके विश्वस्तों की साठ गाठ का परिणाम है उनका असफल होना? आने वाला समय इन सवालों के जवाब तो पूछेगा ही।

ऐसे में भाषा की शालीनता खोना केवल अपनी ही हताशा को प्रमाणित करता है। इससे कालान्तर में कोई लाभ नही मिलता। आज वीरभद्र की यह भाषा सचिवालय के गलियारों से निकर सड़क चौराहों में चर्चा का विषय बन गयी है क्योंकि कांग्रेस के कुछ शुभ चिन्तक उन्हें सातवीं बार प्रदेश का मुख्यमन्त्री देखना चाह रहे हैं।

14 को होगा महेश्वर सिंह की वापसी का ऐलान

शिमला/शैल। हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह को लेकर पिछले कुछ अरसे से यह अटकलें चल रही है कि शीघ्र ही उनकी भाजपा में वापसी हो रही है। हिलोपा ने पार्टी के भाजपा में प्रस्तावित विलय के संद्धर्भ में कोई भी

फैसला लेने के लिये अधिकृत कर दिया है। विलय का प्रस्ताव प्रदेश भाजपा में चर्चित होने के बाद हाईकमान के अन्तिम निर्णय के लिये भी भेज दिया गया है। शीघ्र ही इस दिशा में सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद हैं। महेश्वर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और मन्त्री रह चुके हैं। उन्होने धूमल के साथ तीव्र मतभेद उभरने के चलते भाजपा से बाहर जाने का फैसला लिया था। धूमल शासन में वह धूमल विरोधियों का नेतृत्व कर रहे थे। धूमल विरोधियों ने कई बार उनके नेतृत्व में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को धूमल के विरोध में आरोप पत्र भी सौंपे थे। महेश्वर के विरोध को उस समय शान्ता का पूरा-पूरा समर्थन हासिल था। लेकिन समर्थन के वाबजूद शान्ता ने धूमल विरोधियों को लीड करके अपने विरोध को सीधे सामने नही आने दिया। हांलाकि इन विरोधियों की शान्ता के दिल्ली आवास पर लगातर बैठकें भी होती रही। जब सारे प्रयासों के वाबजूद धूमल के विरोधी उन्हें हटाने में सफल नही हो पाये तो महेश्वर सिंह और उनके साथियों ने भाजपा से बाहर निकलने का फैसला लिया।

इन धमूल विरोधियों ने बाहर निकलकर महेश्वर सिंह के नेतृत्व में हिमाचल लोकहित पार्टी गठित का गठन किया और प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। भले ही हिलोपा को चुनावों में महेश्वर की अपनी सीट पर ही विजय मिल पायी लेकिन हिलोपा के कारण भाजपा भी सत्ता से बाहर हो गयी। आज भी यह स्थिति बरकरार है कि यदि हिलोपा स्वतन्त्र रूप से विधानसभा चुनावों में उतरती है तो भाजपा की सत्ता की राह फिर कठिन हो जाने की संभावना है। भविष्य की इन्ही संभावनाओं का आकलन करते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस विरोधी वोटों का बटंवारा रोकने के लिये अपने पुराने बागीयों की घर वापसी करवाने का फैसला लिया है। इसी रणनीति के तहत हिलोपा के विलय का प्रस्ताव प्रदेश भाजपा की बैठक में रखा गया। जिसे यथास्थिति हाईकमान को भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश भाजपा की बैठक में तो विलय के प्रस्ताव पर तो कोई चर्चा ही नही हुई। हांलाकि हिलोपा में सोलन और कांगडा से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेताओं ने शुरू में विलय का विरोध भी किया था।

इस समय पिछले कुछ अरसे से भाजपा में केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जे. पी. नड्डा को प्रदेश का अगला मुख्यमन्त्री प्रोजैक्ट करने के संकेत उभरने लगे हैं। जब से यह संकेत उभरे हैं तभी से नड्डा ने प्रदेश में अपने दौरे भी बढ़ा दिये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में जो भी विकासात्मक सहयोग दिया जा रहा है उसका श्रेय भी नड्डा को दिया जाने लगा है। पिछले दिनों नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश को दिये राष्ट्रीय उच्च मार्गो को लेकर भी नड्डा को श्रेय दिया जा रहा है। इस संद्धर्भ में गडकरी द्वारा नड्डा को लिखे पत्र को भी इसी परिप्रेक्ष में देखा जा रहा है। भाजपा के बागीयों की घर वापसी का बड़ा पैरोकार नड्डा को ही माना जा रहा है। महेश्वर की वापसी के प्रयासों को भी नड्डा के साथ ही जोड़ा जा रहा है। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि महेश्वर और उनके साथियों ने शान्ता के ईशारे पर धूमल के खिलाफ एक आरोप पत्र नितिन गडकरी को सौंपा था। तब उन आरापों की पड़ताल का जिम्मा भी गडकरी ने नड्डा को ही सौंपा था। सूत्रों की माने तो नड्डा इस समय राजन सुशान्त की वापसी के लिये भूमिका तैयार कर रहे हैं।

लेकिन अभी पिछले दिनों संघ की ही एक पत्रिका यथावत में नड्डा को लेकर कवर स्टोरी छापी है। इसमें स्वास्थ्य मन्त्रालय में फैले भ्रष्टाचार को लेकर नड्डा पर तीखा हमला किया गया है। आरोप लगाया गया है कि नड्डा ने भ्रष्टाचारीयों को बचाने के लिये सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यहां तक आरोप लगा है कि नड्डा मन्त्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की सिफारिशों को भी नजर अन्दाज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नड्डा पर लगे यह आरोप आने वाले दिनों में पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में नड्डा क्या बागीयों की घर वापसी करवा पाते हैं या नही इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं।

वीरभद्र मनी लॉडरिंग प्रकरण में और गिरफ्तारियों की संभावना बढ़ी

शिमला/शैल। वीरभद्र मनीलॉडरिंग प्रकरण में गिरफ्तार एल आई सी ऐजैन्ट आनन्द चौहान को फिर जमानत नही मिली है। वह आठ जुलाई से ईडी की हिरासत में हैं। शनिवार को विशेष अदालत में आनन्द चौहान की जमानत का विरोध करते हुए ऐजैन्सी के वकील एन के मत्ता ने विषेश अदालत को बताया कि मामले की जांच एक गभीर मोड पर है तथा इसमें कुछ और लोगों को पूछताछ के लिये बुलाया गया है। ऐसे में आनन्द चौहान को जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है। जबकि आनन्द चौहान की वकील रिवेका जाहन ने अदालत से आग्रह किया कि सारा मामला दस्तावेजी प्रमाणों पर आधारित है औरवह तो इसमें एक छोटी सी कडी है। विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 16 अगस्त की अगली तारीख तय कर दी है।

स्मरणीय है कि आनन्द चौहान ने बतौर एल आई सी ऐजैन्ट 2010 में वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के नाम करीब छः करोड रूपये की पॉलिसीयां बनाई। लेकिन इनके लिये जो प्रीमियम अदा हुआ उसकी अदायगी चौहान ने अपने खातों से की और इसके लिये इसी अवधि 2009-10 और 2011 में उनके खातों में करोड़ों का कैश जमा हुआ जिसे दिसम्बर 2011 में आयकर के सामने पेश होकर वीरभद्र के बागीचे की आय बताया तथा खुद को बागीचे का प्रबन्धक/प्रबन्धक के तौर पर वीरभद्र के साथ 15-6-08 को हस्ताक्षरित एक एग्रीमैन्ट भी पेश कर दिया। आनन्द चौहान के इस स्टैण्ड के बाद मार्च 2012 में वीरभद्र ने पिछले तीन वर्षो की आयकर रिटर्नज संशोधित कर दी। आकर रिटर्नज संशोधित करने के साथ ही छः करोड के सेब की सेल का खाका तैयार किया गया जिसमें चुन्नी लाल का भी सहायोग लिया गया। लेकिन बागीचे से छः करोड का सेब तीन वर्षो में हो पाना किसी भी जांच में प्रमाणित नही हो पाया है। इसलिये अब आनन्द चौहान, वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और अन्य को इस छः करोड का मूल स्त्रोत ऐजैन्सी को बताना है। इस मामले में ईडी कीरब आठ करोड़ की चल अचल संपति 23-3-16 को अटैच कर चुका है। विक्रमादित्य और अपराजिता को इसमें ईडी लाभार्थी करार दे चुका है।

इसी तरह वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर से भी प्रतिभा सिंह ने अपने चुनाव शपथ पत्र में अपने और वीरभद्र के नाम पर चार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज लिया दिखाया है। इसी वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर से विक्रमादित्य की कंपनी के नाम भी कर्ज लिया गया है। वक्कामुल्ला की एक कंपनी से प्रतिभा सिंह, अपराजिता और अमित पाल ने एक करोड़ के शेयर खरीदे हैं। इस तरह सेब बागीचे से छः और वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर से परिवार के पास बारह करोड़ से अधिक पैसा आना वीरभद्र और प्रतिभा सिंह स्वयं स्वीकार चुके हैं और ईडी को आशंका है कि यह पैसा मनीलॉडरिंग है जिसे वैध बनाने के लिये लोगों का सहयोग लिया गया है। इसलिये लॉडरिंग में जितने लोगों का सहयोग रहा है उनसे पूछताछ होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त इस पैसे का मूल स्त्रोत क्या है और उसमें किसका क्या सहयोग रहा है इस संद्धर्भ में सीबीआई द्वारा पूछताछ की जानी है। सीबीआई के कस्टोडियल जांच के आग्रह को सर्वोच्च न्यायालय से भी एक प्रकार से हरी झण्डी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि इस ट्रेल का हिस्सा बने कुछ लोगों की शीघ्र ही गिरफ्तारी हो सकती है और इसमें सीबीआई तथा ईडी दोनो ऐजैन्सीयां पूरे तालमेल से काम कर रही हैं। सूत्रो की माने तो केन्द्रिय मन्त्री के रूप में रहे वीरभद्र का सारा कार्यकाल लगभग जांच की आशंका में आ चुका है।

एक और एफ आई आर

.....पृष्ठ 1 का शेष

पहले ही अभियुक्त नामजद हैं।

जब इस मामले का चालान तैयार हुआ तब अभियोजन पक्ष ने भी इन बिन्दुओं की ओर ध्यान नही दिया। तहसीलदार ने डिमार्केशन के लिये तय प्रक्रिया पर अमल क्यों नही किया? स्टेडियम और होटल निमार्ण टीसीपी द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार हुआ कहा गया है। टीसीपी के संज्ञान में नाजायज कब्जे की बात क्यों नही आयी? जिस गुरमीत की प्राईवेट जमीन पर भी अवैध कब्जा होने का जिक्र तहसीलदार की रिपोर्ट में आया है। उसके ध्यान में यह तथ्य क्यों नही आया या वह इस पर खामोश क्यों बैठा रहा।

तहसीलदार की रिपोर्ट में आया है कि एचपीसीए के स्टेडियम के लिये 49118.25 वर्गमीटर भूमि आवंटित हुई थी जबकि उसके कब्जे में केवल 45959.68 वर्गमीटर भूमि है तो फिर उसकी शेष आंवटित भूमि कंहा है। ऐसे बहुत सारे बिन्दु इस फैसले के बाद सामने आये हैं जो कि वीरभद्र प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।